77/2017/223 मसूदा

मंगलसिंह वगैरह V/S लाल मौहम्मद व अन्य

तारीख पे.	2017/00077 **बनाम** हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री .... श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08/11/2017	**मंगल सिंह बनाम लाल मौहम्मद** पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. हेतु पेश हुयी। वकुलाय उपस्थित। अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा. दी. प्रस्तुतकर्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 984 व 985 में वादी/अप्रार्थी का 3/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 981 व 986 में वादी/अप्रार्थी का 2/3 हिस्सा निहित हैं। अपीलग्रस्त निर्णय दिनांक 30.09.2016 अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट दोनो की उपस्थिति में स्वंय अपीलांट/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की मौजूदगी में सहमति से पारित किया गया हैं। दिनांक 30.09.2016 को दोनो पक्षों की बंटवारे प्रस्ताव पर सहमति से प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 30.09.2016 को पक्षकारान के मध्य पारित की गई है, जो कि जमाबंदी में निहित हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार पारित डिक्री हैं जिससे किसी प्रकार से अपीलांट/प्रतिवादीगण प्रभावित नही हैं एवं उक्त बाबत् राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 2633 दिनांक 22.10.2016 से अंकन किया जा चुका हैं। अपीलांट को बेदखल करने बाबत् प्रश्न ही नही उठता है ना ही अपीलांट की खातेदारी से रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार हैं जिससे किसी प्रकार की आर्थिक अथवा मानसिक क्षति होना संभावित नही हैं। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र स्थगन में कथन कि नियुक्त अधिवक्ता के हाजिर नही होना व निर्णय की सूचना नही दिये जाने बाबत् अंकित किये गये है वह मिथ्या हैं। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी हैं। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया हैं एवं अचानक दिनांक 09.03.2017 को अधिवक्ता से प्रकरण के बारे में पूछा जाकर जानकारी होना बताते हुए लगभग 7 माह पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है जो कि मियाद बाधित होने से अपील प्रस्तुती में हुई देरी किसी भी रूप में क्षम्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे कथन किया कि प्रथम दृष्टया एवम् सुविधा का सन्तुलन रेस्पोडेन्टस के पक्ष में साबित हैं इस कारण प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाना कानूनन अति आवश्यक है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. को खारिज किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.03.2017 को स्थगन आदेश दिये हैं वह विधि सम्मत हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की बिना पालना किये प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को भिजवाये गये हैं पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना अवलोकन किये प्रकरण का अंतिम निस्तारण दौराने कैम्प कोर्ट में पारित कर दिया है, जो विधि विरूद्ध है। बरवक्त विभाजन प्रस्ताव सभी	निरन्तर........

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

P.T.O.

मथुरा
77/2017/223 मंगलसिंह वगै० V/s लाल मोहम्मद व अन्य

तारीख पेशी	2017/00077 बनाम हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 60.2 श्री गोविन्द लाल गुर्जर, एड०अपील० श्री राकेश अरोड़ा – 1	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
निरन्तर.......	मंगल सिंह बनाम लाल मौहम्मद खातेदार को नोटिस देकर आराजी की भौतिक स्थिति एवम् अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बरवक्त विभाजन तैयार करते समय दोनो पक्षों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए। उक्त विभाजन प्रस्तुत स्वंय भूमि धारक तहसीलदार की मौजूदगी में स्वंय के द्वारा प्रस्तुत तैयार किया जाना चाहिए जो नही किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअंदाज कर वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद के कथनाअनुसार वाद का निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया, जो विधि सम्मत नही हैं। न्यायालय हाजा से निवेदन है कि दिनांक 20.03.2017 को जो स्थगन आदेश दिये गये हैं वह विधि सम्मत हैं जिसको यथावत् रखा जावें। अभिभाषक अपीलांट ने पक्ष में 2016 आर.आर.डी. पेज 409 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया कि– एक पक्षीय आदेश को अपास्त करने हेतु पेश किया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया–प्रतिवादी द्वारा द्वितीय अपील–वादी ने मौके पर वाहमी विभाजन होना स्वीकार किया–विभाजन प्रस्ताव तलब करने के पूर्व सभी पक्षकारों को नोटिस देना आवश्यक थो– निर्णित , आंदेश अपास्त किया तथा तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व प्रस्तुत नजीरो का अवलोकन किया गया। बाद मनन अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि दिनांक 30.09.2016 को दोनो पक्षों की बंटवारे प्रस्ताव पर सहमति से प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 30.09.2016 को पक्षकारान के मध्य पारित की गई है, जो कि जमाबंदी में निहित हिस्से अनुसार प्राथमिक डिक्री के अनुसरण में तहसीलदार द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार पारित डिक्री हैं जिससे किसी प्रकार से अपीलांट/प्रतिवादीगण प्रभावित नही हैं एवं उक्त बाबत् राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 2633 दिनांक 22.10.2016 से अंकन किया जा चुका हैं। अपीलांट को बेदखल करने बाबत् प्रश्न ही नही उठता है। अभिभाषक अपीलांट ने जवाब में यह साबित नही कर पाये कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो डिक्री पारित की हैं वह एक पक्षीय है या उनको बिना सुने पारित की गयी हैं एवम् उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 30.09.2016 की पालना में बाबत् राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण संख्या 2633 दिनांक 22.10.2016 से अंकन किया जा चुका हैं। रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता हैं।इस प्रकार अपीलांट प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहें हैं, इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 20.03.2017 को जारी स्थगन आदेश को वैकेट करना उचित समझते हैं। अतः न्यायालय हाजा के द्वारा दिनांक 20.03.2017 को जारी स्थगन आदेश कों वैंकेट किया जाता हैं। मिसल वास्ते बहस अपील दिनांक 11.12.2017 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

मुकदमा 77/17/223 मंगल सिंह बनाम लाल मौलचन्द

तारीख पेशी	बनाम 2017/00077 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शौकिन्द लाल .... श्री राकेश अरोड़ा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

11.12.17

पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उपस्थित। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रकरण को आगे नही चलाने बाबत् पेश किया, जो शामिल पत्रावली हों। अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांटस एवम् रेस्पोडेन्टस के मध्य गांव के मौतविरान व्यक्तियों की आपसी समझाईश अनुसार दोनो पक्षों में विवादित आराजियात बाबत् सड़क के मुख्य भाग पर अच्छी से अच्छी एवम् बुरी से बुरी भूमि के सम्बन्ध में आपसी राजीनामा होने के कारण अपील विड्रो के बाद आपस में जरिये विक्रय पत्र के आधार पर इन्द्राज दर्ज होने बाबत् दोनो पक्षों के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण आगे नही चलाना चाहते है यदि द्वितीय पक्ष उक्त बाहरी राजीनामा को अपील विड्रो होने पर इंकार करने पर अपील को पुनः इसी स्तर पर नम्बर पर लेने का हक व अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रकरण को विड्रो करना चाहते है, जिसमें दोनो पक्ष सहमत हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को विड्रो किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपीलांट संख्या 01 से 3/2 स्वंय उपस्थित हुए, अपीलांट संख्या 3/3, 3/4 नाबालिग होने से उनकी ओर से माता समीदा उपस्थित हैं। अपीलांटस ने अपने आधार कार्ड की प्रति स्वंय हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की है, जो अपील संख्या 81/2017 में शामिल हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मंगल सिंह स्वंय उपस्थित हुए। अपीलांटस की पहचान उनके अभिभाषक श्रीशौकिन्द लाल गुर्जर ने की एवम् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 मंगल की पहचान उनके अभिभाषक श्री राकेश अरोड़ा ने की।

अभिभाषक अपीलांटस अपील को विड्रो करना चाहते है एवम् रेस्पोडेन्ट को भी कोई आपत्ति नही हैं।

अतः अपील अपीलांटस विड्रो किये जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

(हाशिये में हस्तलिखित:) अपीलार्थी ... मंगल सिंह ... 11/12/17

निर्णय प्रति ... 3/01/18 ... L.C. ...